

प्रेषक,

मोहिन्दर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक : 3 अक्टूबर, 2007

विषय : रिट याचिका संख्या : 3612 (एम/बी) / 2007 मंजू सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.7.2007 का प्रभावी अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक रिट याचिका में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.7.2007 में पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में यह निर्देश दिए गए हैं कि बहुमंजिली इमारतों, व्यवसायिक काम्पलेक्स, शापिंग मॉल्स एवं कालनीयों के मानचित्र तब तक स्वीकृत न किए जाएं, जब तक कि पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान का प्राविधान न किया गया हो। व्यक्ति विशेष, कालोनाइजर्स, विकास प्राधिकरण एवं स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित किए जाने वाले आवासों में गैराज अथवा अन्य प्रकार की पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाय तथा विकास प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों या निजी कालोनाइजर्स द्वारा अपनी कालोनीयों में केन्द्रीय पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जा सकती है। पार्किंग के सम्बन्ध में मा. न्यायालय, द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि शापिंग मॉल्स, बहुमंजिली इमारतों तथा व्यवसायिक, काम्पलेक्सेज, आदि के सामने स्थित मार्गों पर वाहनों की पार्किंग न होने दी जाय, ताकि ट्रैफिक की समस्या न उत्पन्न हो।

2. विदित है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों में लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि जो नेशनल बिल्डिंग कोड पर आधारित है, के अन्तर्गत यद्यपि बहुमंजिली इमारतों के मानचित्र पार्किंग व्यवस्था सहित ही स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में समुचित प्राविधान हैं तथा शासनादेश संख्या : 355 / 9–आ–3–2004–215 काम्प / 2003, दिनांक 29.1.2004 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं, तथापि नगरीय क्षेत्रों विशेषकर महानगरों में पार्किंग की समस्या गम्भीर बनी हुई है। अतः मा. उच्च न्यायालय द्वारा पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में पारित आदेश के अनुपालन में निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

- 2.1 स्थानीय अभिकरणों द्वारा बहुमंजिली इमारतों, शापिंग मॉल्स तथा व्यवसायिक काम्पलेक्सेज के मानचित्र तभी स्वीकृत किए जायें जब उनके मानचित्रों में भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार वाहनों की पार्किंग हेतु स्थल आरक्षित करते हुए “सर्कुलेशन प्लान” भी प्रस्तावित किया गया हो।
- 2.2 बहुमंजिली इमारतों, विशेषकर शापिंग मॉल्स तथा व्यवसायिक एवं कार्यालय काम्पलेक्सेज के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष जिन निर्मित भवनों में मौके पर पार्किंग उल्लंघन किया गया है, उन भवनों में अभियान चला कर नियमानुसार पार्किंग पुनर्स्थापित करायी जाए एवं उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की व्यवस्थानुसार अभियोजन, सीलबन्द ध्वस्तीकरण, आदि की कार्यवाही की जाए। पार्किंग व्यवस्था हेतु आरक्षित भूमि पर हुए अवैध निर्माण को किसी भी दशा में शमनित न किया जाए।
- 2.3 विकास प्राधिकरणों, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्, स्थानीय निकायों तथा निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित अथवा विकसित की जाने वाली कालोनीयों में व्यवसायिक भू–उपयोग, सामुदायिक सुविधाओं यथा अस्पताल, कम्युनिटी सेन्टर्स तथा अन्य स्थलों जहां पर विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए

जनता एकत्र होती है अथवा वाहनों का आवागमन अत्याधिक होता है, वहाँ पर पार्किंग हेतु स्थान चिन्हित करते हुए केन्द्रीय पार्किंग स्थल विकसित किए जाएं, ताकि "ट्रैफिक कन्जेशन" न हो।

- 2.4 नगरों के मुख्य मार्गों पर अनियमित पार्किंग के कारण यातायात का सुगम प्रवाह बाधित होता है, अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि मार्गाधिकार के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की पार्किंग अनुमन्य न की जाय, विशेषतः शापिंग मॉल्स, बहुमंजिली इमारतों तथा व्यवसायिक काम्पलेक्स के सामने स्थित मार्गों पर किसी भी दशा में पार्किंग न होने दी जाय। इन मार्गों पर "पार्किंग निषिद्ध क्षेत्र" के साइन बोर्ड भी उपयुक्त स्थलों पर लगाये जायें।
- 2.5 उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा—(15) की उपधारा—1 में यह प्राविधान है कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा निकाय जिसका मानचित्र स्वीकृत किया गया है, वह स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कार्य पूर्ण करेगा और कार्य पूर्ण हो जाने की सूचना लिखित रूप में प्राधिकरण को देगा तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करेगा। इसी धारा की उपधारा—2 में यह प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी वाणिज्यिक भवन को न तो अध्यासित करेगा अथवा न किसी को अध्यासित करने की अनुमति देगा अथवा ऐसे भवन अथवा उसके भाग का अथवा न किसी को उपयोग करने की अनुमति करेगा जब तक कि पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी न कर दिया जाये। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर 2.1.8 एवं अनुलग्नक—2 में पूर्णता प्रमाण—पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में समुचित प्राविधान किये गये हैं। अतः उक्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पार्किंग व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

3. मा. उच्च न्यायालय द्वारा पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में पारित आदेशों के क्रम में जारी उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाए।

भवदीय,

मोहिन्दर सिंह,
प्रमुख सचिव

पत्रांक/दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक (यातायात), उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलायुक्त / अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
8. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आर.के. सिंह
विशेष सचिव